भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2841

बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>हरियाणा में बायोगैस संयंत्र</u>

2841. श्री सतपाल ब्रह्मचारी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जैब ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत बायोगैस, बायोमास या संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई परियोजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक स्वीकृत/स्थापित संयंत्रों की संख्या कितनी है, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इनके अंतर्गत कितनी राशि निवेश की गई है और कितने स्थानीय किसानों या युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) क्या कृषि अपशिष्ट, गोबर और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों और पंचायतों को कोई वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैव ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, पारदर्शिता और प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): हरियाणा के सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के चरण-I के अंतर्गत समर्थित परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i. अपशिष्ट से ऊर्जा - 2 परियोजनाएँ
ii. बायोमास - शून्य
iii. बायोगैस - 19 परियोजनाएँ

समर्थित संयंत्रों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

हरियाणा के सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो अपशिष्ट-ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से लगभग 7680 श्रमदिन रोजगार प्रदान किए गए है। जबकि, 19 छोटे घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना से लगभग 532 श्रमदिन रोजगार प्रदान किए गए है।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायतों को कृषि अपशिष्ट, गोबर और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए किसी भी वित्तीय/तकनीकी सहायता का प्रावधान नहीं है। तथापि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, दी जा रही सहायता **अनुलग्नक-II**

में दी गई है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सूचित किया गया है, आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत शुरू किया गया गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) पशु अपशिष्ट, रसोई के बचे हुए भोजन आदि जैसे जैव-अपघटनीय अपशिष्टों को बायोगैस और जैविक खाद में परिवर्तित करके गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करता है। यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण-II योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है।

एसबीएम (जी) चरण-II के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, सामुदायिक स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों जैसे सामुदायिक खाद गड्ढे उपलब्ध कराना, अपशिष्ट संग्रह वाहनों की खरीद और गांव या ग्राम पंचायत स्तर पर भंडारण और पृथक्करण शेड का निर्माण के लिए 5,000 तक की आबादी वाले गांवों के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति और 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए 45 रुपये प्रति व्यक्ति तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में ब्लॉकों का समूहीकरण संभव नहीं होने पर कम से कम एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट (पीडब्लूएमयू) की व्यवस्था भी है । ब्लॉक स्तर पर पीडब्लूएमयू के निर्माण के लिए प्रति ब्लॉक 16 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-II के अंतर्गत, सामुदायिक स्तर पर बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु 2020-21 से 2025-26 तक की संपूर्ण कार्यक्रम अवधि के लिए प्रति ज़िला ₹50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत गांव/ब्लॉक/जिला स्तर पर सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करने से पूर्व सरदार स्वर्ण सिंह-राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान के साथ दूसरी निरीक्षण एजेंसी के माध्यम से सभी स्थापित जैव ऊर्जा परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाता है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'हरियाणा में बायोगैस संयंत्र' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2841 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के चरण-I के अंतर्गत समर्थित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का उप-घटक	**स्थापित परियोजनाओं की कुल संख्या**	**कुल स्थापित क्षमता**	**कुल स्वीकृत सीएफए (करोड़ रुपये में)**
अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम **(जैव-सीएनजी)**	2	8400 किग्रा/दिन	7.0
बायोगैस कार्यक्रम (**छोटे बायोगैस संयंत्र)**	19	38 घन मीटर / दिन	0.028
बायोमास कार्यक्रम	-	-	-

अनुलग्नक-II

'हरियाणा में बायोगैस संयंत्र' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2841 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, विभाग फसल अवशेष प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और उक्त योजना से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने और फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए, फसल अवशेष प्रबंधन पर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित की गई है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, एफपीओ और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। धान आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं को उच्च एचपी ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मध्यम से बड़े बेलर, रेकर, लोडर, ग्रैबर और टेलीहैंडलर जैसी मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर 65%, अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों में व्यापक जागरूकता लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ चलाने हेतु राज्यों और आईसीएआर को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा अनुशंसित मशीनों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देती है, जैसे कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रॉलिकली रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड हल, फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए क्रॉप रीपर और रीपर बाइंडर तथा आगे के उपयोग के लिए पराली के संग्रह के लिए बेलर और स्ट्रॉ रेक।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान (दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार) 3951.16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं (पंजाब - 1906.45 करोड़ रुपये, हरियाणा - 1081.71 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश - 838.67 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश - 25.00 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली - 6.05 करोड़ रुपये, आईसीएआर- 86.06 करोड़ रुपये और अन्य 7.22 करोड़ रुपये)। राज्यों ने व्यक्तिगत किसानों को 3.24 लाख से अधिक और इन राज्यों में 42880 से अधिक सीएचसी को मशीनें वितरित की हैं।

अनुलग्नक-III

'हरियाणा में बायोगैस संयंत्र' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2841 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

100% कूड़ा मुक्त शहरों (जीएफसी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2021 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) के ठोस अपशिष्ट घटक के तहत, विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), खाद संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) प्रसंस्करण सुविधाएं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं, अपशिष्ट से बिजली संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्र, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र / सीबीजी संयंत्र सहित सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना के लिए निधियों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों के प्रयासों को नीतिगत दिशानिर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, जिनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे खाद, जैव-मीथेनेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ), निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण, मैकेनिकल सड़क सफाई, डंपसाइट रीमेडिएशन आदि की स्थापना के लिए शहरों की विभिन्न जनसंख्या श्रेणी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 25%, 33% और 50% की अलग-अलग दरों पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए)। एसबीएम-यू 2.0 के एसडब्ल्यूएम घटक के तहत हरियाणा राज्य के लिए 226.9 करोड़ रुपये का मिशन आवंटन निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 207.71 (91.5%) करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी (सीएस) वाली कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है।

(ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की आयोजना, डिजाइन और परिचालन तथा रखरखाव के सभी पहलुओं को शामिल करने वाले मैनुअल, एडवाइजरी, डिजाइन, प्रोटोकॉल के माध्यम से तकनीकी सहायता।

(iii) मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमगत हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु संस्थागत क्षमता बनाने के लिए राज्यों और शहरों को क्षमता निर्माण (सीबी) के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

(iv) राज्य और शहरों को सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है, ताकि जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर नागरिक पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जिससे 'जन आंदोलन' को तेज किया जा सके और कूड़ा मुक्त शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में स्वच्छ व्यवहार और संबंधित कार्यों को संस्थागत बनाया जा सके।

*****